[redacted]

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश ग्वालियर

निगरानी प्रकरण /2017 7/निगरानी/टीकमगढ़/भू रा/2017/2388

1– भगवत नारायण शर्मा पुत्र स्व. श्री रामसेवक शर्मा
आयु 63 वर्ष पेशा वकालात

2– कुंज बिहारी शर्मा पुत्र स्व. श्री रामसेवक शर्मा
आयु 68 वर्ष पेशा कृषि

3– हरि मोहन शर्मा पुत्र स्व. श्री रामसेवक शर्मा
आयु 50 वर्ष पेशा शासकीय सेवा

4– राकेश बिहारी शर्मा पुत्र स्व. श्री रामसेवक शर्मा
आयु 45 वर्ष पेशा कृषि
सभी निवासीयान ग्राम व पोस्ट लिधौरा तहसील लिधौरा
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश

....निगरानीकर्तागण

बनाम

1– मध्य प्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार लिधौरा
जिला टीकमगढ

2– सचिव मण्डी समिति लिधौरा /जतारा
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश

.....उत्तरवादीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार लिधौरा जिला टीकमगढ के राजस्व प्रकरण क्रमांक 363/बी–121/2016–17 आदेश दिनांक 30–03–2017 से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है ।

महोदय,

निगरानीकर्ता की विनय सादर निम्न **प्रकार है** :–

{1}– यह कि श्रीमान अधीनस्थ न्यायालय **न्यायालय** तहसीलदार के राजस्व प्रकरण क्रमांक 363/बी--121/2016–17 आदेश **दिनांक** 30–03–2017 के द्वारा निगरानीकर्ता के पिता स्व. श्री रामसेवक शर्मा **पुत्र श्री** कडोरे लाल शर्मा के नाम पर भूमि खसना नम्बर 778 रकवा 20 एकड ग्राम लिधौरा उगड तत्कालीन तहसील जतारा जिला टीकमगढ मध्य **प्रदेश** वर्ष 1969–70 एवं ... जमीन के रिकार्ड मे उक्त

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक I/निगरानी/टीकमगढ़/भू0रा0/2017/2388

भगवत नारायण शर्मा आदि विरूद्ध म0प्र0 शासन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
07-3-2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार लिधौरा जिला टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 363/बी-121/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 30-3-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 6-5-2019 को कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। सदस्य 07/3/19	